



संख्या: - २०७८/भावि/कुसका/2023/304/16

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के दिशा-निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं की शिकायतों के समाधान हेतु प्रो० नवीन कुमार खरे, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (सेवानिवृत्त), रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को 03 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये लोकपाल नियुक्त किया जाता है।

सुनवाई का संचालन करने के लिए लोकपाल को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जायेगा तथा नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

Bnisha
(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति कार्यालय को माननीय कुलपति के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/प्रभारी निदेशक/विभागाध्यक्ष।
3. अधिष्ठाता छात्र-कल्याण।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. कुलानुशासक।
6. उप कुलसचिव।
7. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु।
8. सम्बंधित पत्रावली।

Bnisha
कुलसचिव।